न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण सं0 2/2021 :GCMS No 2021/13
दायरा तिथि : 05.01.2022
आदेश तिथि : 28-07-22

प्रार्थीगण :–

1. तुलसी पुत्री हंसारामजी
2. नगाराम पुत्र हंसारामजी
3. मगनु पुत्री हंसारामजी
4. रतनलाल पुत्र हंसारामजी
5. लाली पुत्री हंसारामजी
6. शंकरलाल पुत्र हंसारामजी तमाम जातिगण मेघवाल
   निवासीगण सेसली तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. चन्दुलाल पुत्र चुन्नीलालजी जाति सरगरा
   निवासी फालनागांव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. गमना पुत्र नेमाजी जाति मेघवाल निवासी लालराई के कायम मुकामः–
   2/1 नरेन्द्र भाटी पुत्र गमनाजी
   2/2 चेनाराम पुत्र गमनाजी
   2/3 भंवरीदेवी पुत्री गमनाजी जातिगण मेघवाल
   निवासीगण लालराई तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 28-07-22

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम पुनाडिया पटवार हल्का, कोटबालियान तहसील बाली के खसरा नंबर 442/2 रकबा 1.35 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी निजी खातेदार चन्दुलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति सरगरा नि. फालनागांव की खातेदारी भूमि ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 442 रकबा 0.35 हैक्टर एवं अप्रार्थी गमना पुत्र नेमा जाति मेघवाल निवासी लालराई की खातेदारी भूमि ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 442/1 रकबा 1.35 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मुण्डारा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/ 2022/1021 दिनांक 11.4.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1.यह हैं कि ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 442/2 रकबा 1.35 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की खातेदारी प्रार्थी तुलसी पुत्री हंसाराम हि. 1/6, नगाराम पुत्र हंसाराम हि. 1/6, रतनलाल पुत्र हंसाराम हि. 1/6, वगैराह जातिगण भांबी निवासीगण सेसली तहसील बाली के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदारो की धारित भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	442/1	1.35 हैक्टर	बा.दो..	95X2=190 वर्गमीटर	गमना पुत्र नेमा मेघवाल सा. लालराई
2	442	0.35 हैक्टर	बा.दो.	95X2=190 वर्गमीटर	चन्दुलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति सरगरा निवासी फालनागांव

पेज लगातार..............02

Scanned with CamScanner

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम पुनाडिया की डी.एल.सी. दर 176580/–रूपये प्रति हैक्टर है।
4. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/ वृक्ष नहीं हैं एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रकरण में वर्णित अप्रार्थी चन्दुलाल पुत्र चुन्नीलाल को नोटिस जारी किये जाने पर इनकी ओर से अधिवक्ता श्री विरमदेवसिंह द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करते हुये पैरवी की गई परन्तु इनकी ओर से लिखित में किसी प्रकार का एतराज/आपत्ति पेश नहीं की गई। अप्रार्थी गगना पुत्र नेगा मेघवाल की मृत्यु होने से उनके विधिक वारिशान को रेकर्ड पर लिया गया। जिनकी ओर से अधिवक्ता श्री तरूण मीणा ने पैरवी करते हुये आपत्ति पेश कर आवेदक प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 442/2 में जाने के लिये गै.मु. रास्ता खसरा नंबर 461 से होते हुये खसरा नंबर 447/711 व 443 मेंसे रास्ते का उपयोग कर रहे है, जो निकटतम रूट हैं। निकटतम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुये अप्रार्थी की भूमि से रास्ता चाहने से धारा 251(ए) के प्रावधानो अनुसार प्रार्थीगण के रास्ते का आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया। खसरा नंबर 442/1 के प्रभावित अप्रार्थी पक्षकारो द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने से वकुलाय की बहस के पश्चात् प्रकरण में तहसीलदार, बाली से आपत्ति में उल्लेखित वैकल्पिक रूट से रास्ता की उपलब्धता के सबंध में रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा ने पुनः जांच कर आपत्यिो के सबंध में निम्नानुसार रिपोर्ट पेश की:–
1. यह हैं कि आपत्ति प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी तुलसी वगैरा रेकर्ड में दर्ज खसरा नंबर 461 गै.मु. रास्ता से होते हुए खसरा नंबर 447/711 व 443 मेंसे रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं जो लघुतम एवं कदीमी रास्ता है। इसी कदीमी रास्ता से अन्य पडौसी खातेदार भी उपयोग में लेते हैं। यह आक्षेप सरासर असत्य हैं क्योंकि रेकर्ड में दर्ज खसरा नंबर 461 से लगाकर खसरा नंबर 447/711 एवं खसरा नंबर 443 मेंसे प्रार्थी तुलसी के खसरा नंबर 442/2 में कोई कदीमी रास्ता मौके पर नहीं हैं। खसरा नंबर 461 गै.मु. रास्ता के पास ही 10 फीट चौडी एवं 5 फीट गहरी वाली है जो राजस्व नक्शे में नहीं दर्शायी गयी हैं, परन्तु मौके पर वाली निकली हुई हैं। इस वाली के आगे खसरा नंबर 447/711 स्थित हैं यह खसरा पानी के भराव क्षैत्र में हैं। जहां वर्ष काल में पुरा खसरा की भूमि पानी से भर जाता हैं, क्यों कि यह अन्य खसरो से नीचे हैं। व मौके पर पानी भराव के निशानात मौजुद हैं। अगर खसरा नंबर 447/711 मेंसे रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थीगण तुलसी वगैरा को खसरा नंबर 461 गै.मु. रास्ता के पास स्थित वाली में पानी का पाईप डालना पडता है एवं खसरा नंबर 447/711 में मिट्टी डालकर खसरा नंबर 447/711 को सतह से ऊंचा करना पडता हैं।
2. यह हैं कि आपत्ति प्रार्थना पत्र के अनुसार वर्तमान में प्रार्थीगण तुलसी वगैरा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के आगे वर्तमान में पक्की सडक निकलन से उनके खसरा नंबर 442/1 मेंसे रास्ता मांगा है एवं उनके खसरा नंबर 442/1 से तो पीछे स्थित खसरा नंबर 461 गै.मु. रास्ता से खसरा नंबर 447/711 एवं खसरा नंबर 443 मेंसे रास्ता दिया जाये तो वह रास्ता प्रार्थी की खातेदारी में जाने हेतु नजदीक होगा उपरोक्त तथ्य की जांच की गयी दोनो रास्तो में ज्यादा अन्तर नहीं हैं खसरा नंबर 442, 442/1 मेंसे रास्ता दिया जाता है तो रास्ते की लम्बाई 92 मीटर होती है एवं पीछे से रास्ता दिया जाता है तो रास्ते की लम्बाई 84 मीटर होती है इस प्रकार जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता हैं कि मौके के अनुसार पीछे से स्थित खसरा नंबर 461 गै.मु. रास्ता से खसरा नंबर 447/711 एवं 443 मेंसे रास्ता नहीं दिया जा सकता। जिससे पटवारी हल्का एवं भू0अभिलेख निरीक्षक मुण्डारा के द्वारा पूर्व में दी गई जांच रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से आपत्तियो के सबंध में पुनः रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील आपत्तिकर्ता श्री तरूण मीणा एवं वकील प्रार्थी श्री नारायणसिंह राजपुरोहित की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि आवेदक तुलसी वगैरा की खातेदारी भूमि ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 442/2 रकबा 1.35 हैक्टर किस्म बारानी भूमि में आवागमन के लिये रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से धारा 251(ए) के तहत नवीन रेकर्डेड रास्ता की मांग की गई। जिस पर तहसीलदार, बाली ने जांच करते हुये खसरा नंबर 442/1 व 442 की भूमियों मेंसे दो–दो मीटर चौडाई का रास्ता प्रस्तावित किया। जिस पर खसरा नंबर 442/1 के खातेदारान् की ओर से आपत्ति पेश कर प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि तक पहुॅचने के लिये पहले खसरा नंबर 461 गै.मु. रास्ते से होकर कदीमी रास्ता होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी गई। परन्तु मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट से यह ज्ञात है कि अप्रार्थी पक्ष की दलील बेबूनियाद है, इसकी वजह खसरा नंबर 461 गै.मु. रास्ता के पास 10 फीट चौडी व 5 फीट गहरी वाली है, जो राजस्व

पेज लगातार...............03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं0 2/2021 :GCMS No 2021/13
अनवान तुलसी वगैरा बनाम चन्दुलाल वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

नक्शे में नहीं दर्शाई गयी है तथा आगे खसरा नंबर 447/711 पानी भराव क्षेत्र में है। जहां से आवागमन संभव नहीं है। जिससे अप्रार्थी पक्ष की आपत्तियॉं अस्वीकार की जाती है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुॅंच के लिये आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। जिससे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम पुनाडिया पटवार हल्का, कोटबालियान तहसील बाली में प्रार्थीगण द्वारा धारित भूमि खसरा नंबर 442/2 रकबा 1.35 किस्म बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पुनाडिया पटवार हल्का कोटबालियान के खसरा नंबर 442/1 व 442 मेंसे **380 वर्गमीटर** तहसीलदार, बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नया मार्ग रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता करावे। प्रतिकर राशि निम्नानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 176580/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
442/1	1.35	95X2=190 वर्गमीटर	17.66	3355X2=6710	नरेन्द्र भाटी पुत्र गमनाजी चेनाराम पुत्र गमनाजी भंवरीदेवी पुत्री गमनाजी जातिगण मेघवाल निवासीगण लालराई
442	0.35	95X2=190 वर्गमीटर	17.66	3355X2=6710	चन्दुलाल पुत्र चुन्नीलालजी जाति सरगरा निवासी फालनागांव

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **13420/– (अक्षरे तेरह हजार चार सौ बीस रूपये मात्र)** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण को अदा की जायेगी। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा
3. पटवारी हल्का, कोटबालियान
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. आवेदक तुलसी पुत्री हंसारामजी जाति मेघवाल निवासी सेसली तहसील जिला पाली वगैरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner